छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 493/2007</u>

श्री इन्दर चंद सोनी,
जवाहर चौक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 31 जुलाई 2007)

अपीलार्थी श्री इन्दर चंद सोनी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अन्तर्गत द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने समय–सीमा में प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया तथा जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी न देकर शुल्क जमा करने के लिये निर्देश दिये गये।

2/ मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसने दिनांक 3–11–2006 को जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था। उसे दिनांक 28–11–2006 को आवेदक को 900/– रुपये (नौ सौ रुपये मात्र) अभिलेख–शुल्क जमा करने के लिये सूचित किया गया। किन्तु आवेदक ने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया, उसने दिनांक 13–12–2006 को जन सूचना अधिकारी को अधिक अभिलेख–शुल्क माँगे जाने का पत्र लिखा। सामान्य प्रशासन विभाग के संशोधित नियमों के अनुसार पुनः अपीलार्थी को 04/– रुपये (चार रुपये मात्र) अभिलेख–शुल्क जमा करने के लिये दिनांक 16 जनवरी 2007 को सूचित किया गया। किन्तु अपीलार्थी ने अभिलेख–शुल्क जमा नहीं किया। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा–20 के अंतर्गत विलम्ब के लिये जन सूचना अधिकारी को दण्डित करने तथा जानकारी निःशुल्क प्रदान करने की माँग की।

3/ जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी ने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किये, अतः उसे जानकारी प्रदान नहीं की गई। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी का तर्क गलत है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्धारित अवधि में आदेश पारित नहीं किया, क्योंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के द्वारा प्रथम अपील दिनांक

14–02–2007 प्रस्तुत होने पर दिनांक 08–03–2007 की पेशी निर्धारित की। अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। दिनांक 16–03–2007 को आगामी तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 16–03–2007 को सूचना के पश्चात् भी अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। दिनांक 16–03–2007 को विधिवत् आदेश पारित किया गया। चूँकि अपीलार्थी को पूर्व में पेशी की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, अतः पुनः नोटिस जारी कर दिनांक 16–03–2007 तिथि निर्धारित की गई। इस तारीख की लिखित नोटिस के अलावा आवेदक को उपसचिव के द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई, किन्तु इसके पश्चात् भी आवेदक उपस्थित नहीं हुआ। अतः विशेष परिस्थिति में अपीलीय अधिकारी के द्वारा 45 दिन के अन्दर आदेश पारित किया गया तथा अपीलार्थी को इस आदेश की सूचना दिनांक 28–03–2007 को भेजी गई। अतः अपीलार्थी का यह तर्क कि उसे दिनांक 12–05–2007 तक प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की सूचना नहीं मिली, मान्य नहीं है।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अभिलेख–शुल्क जमा नहीं किया। अतः अपीलार्थी को सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व नियमों के अनुसार ही 100/– रुपये प्रति पेज के मान से 09 पेज के 900/– रुपये (नौ सौ रुपये मात्र) जमा करने के लिये लिखा गया था, जिसे बाद में 02/– रुपये (दो रुपये मात्र) के मान से 04/– रुपये (चार रुपये मात्र) जमा करने की सूचना दी गई। यह अवश्य है कि यह सूचना विलम्ब से दी गई। अतः अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी निःशुल्क दिये जाने का आदेश दिया जाता है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दिये जाने का कोई प्रमाण नहीं होने के कारण अर्थदण्ड किये जाने का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त